सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

न्यायालय अधिकारी – दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 23/2019

गुड्डा उर्फ ऊषा देवी पुत्री स्व. श्री लोकराम पत्नी डालचंद जाति ब्राह्मण निवासी भाण्डौर निवासी भाण्डौर तहसील भरतपुर हाल निवासी गांव मौरोली कलां तहसील व जिला भरतपुर(राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ,1956

उपस्थिति – 1. श्री उदयवीर कसाना अभिभाषक (प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक : 25.01.2021

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2019 को अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की हाल आराजी खसरा नम्बर 1259/0.65, 1346/0.22 ,949/0.35, 955/0.51 किता 4 कुल रकवा 1.73 हैक्टेयर में 1/8 हिस्सा एंव 1343/0.31, 764/0.27, 802/0.33, 829/0.30, 930/0.28, 931/0.36 किता 6 कुल रकवा 1.85 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है और उसी अनुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम ऊषा देवी पुत्री लोकराम के स्थान पर गुड्डा पुत्री लोकराम दर्ज है जो राजस्व कार्मिको द्वारा सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया है वास्तविकता में प्रार्थीया का सही नाम ऊषा देवी है तथा प्यार से घर का नाम गुड्डा होने के कारण सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे प्रार्थीया सही कराकर दुरूस्त करा पाने की अधिकारिणी है। वर्णादित आराजीयात प्रार्थीया के पिता लोकराम से जरिये विरासतन प्रार्थीया को प्राप्त हुई है तथा शेष हिस्सा पर अन्य वारिसान का नाम दर्ज है। प्रार्थीया लोकराम की पुत्री है लोकराम के वारिसान पत्नी पुष्पा देवी एंव पुत्रियों कृष्णा, रेखा एंव प्रार्थीया ऊषा देवी उफ

गुड्डा है अन्य कोई वारिस नही है, जिनमें से रेखा का स्वर्गवास हो चुका हैउसके स्थान में उसके पुत्रगण जयप्रकाश एंव रजनी है। प्रार्थीया का ही नाम गुड्डा व ऊषा देवी है जो एक ही व्यक्ति है। उक्त तथ्य सरपंच ग्राम पंचायत भाडौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं आयकर के स्थायी लेखा कार्ड एंव अन्य दस्तावेज से स्पष्ट है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात दर्ज है उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी प्रार्थीया को पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड की जानकारी करने पर दिनांक 03.10.2019 को हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का नाम गुड्डा के स्थान पर ऊषा देवी उर्फ गुड्डा किया जाने के आदेश किये जावे।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का कथन अस्वीकार हैं। वादी के पिता के बाद जमाबन्दी में वादी का नाम गुड्डा दर्ज है। ऊषा देवी कभी दर्ज नहीं हुआ है। वादी पत्रावली में संलग्न पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड के आधार पर गुड्डा के बजाय ऊषा देवी करवाना चाहती है जो गलत है। अतः वाद खारिज योग्य है।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74 ग्राम भाडौर, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत तुहिया, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की।

4. प्रार्थीया के अभिभाषको की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र क कथनो को दोहराते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 1259/0.65, 1346/0.22, 949/0.35, 955/0.51 किता 4 जिसका रकवा 1.73 है0 में 1/3 हिस्सा एवं 1343/0.31, 764/0.27, 802/0.33, 829/0.30, 930/0.28, 931/0.36 किता 6 जिसका कुल रकवा 1.85 है0 में 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वास्तविकता में प्रार्थिया का सही नाम ऊषा देवी है तथा प्यार से घर का नाम गुड्डा होने के कारण सहवन से गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीया गुड्डा एवं ऊषा देवीएक ही व्यक्ति है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गुड्डा दर्ज है। अतः दोनों नामों से प्रार्थीया का नाम गृड्डा के स्थान पर ऊषा देवी उर्फ गुड्डा दुरूस्त किया जावे।

का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत , पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति में नाम ऊषा देवी दर्ज है। उक्त सभी साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीया को नाम गुड्डा के स्थान पर ऊषा उर्फ गुड्डा दुरूस्त किया जाना उचित होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया का नाम गुड्डा जमाबन्दी संख्या 2071–74 ग्राम तहसील भरतपुर के खाता नम्बर 112, 113 में गुड्डा के स्थान पर ऊषा देवी उर्फ गुड्डा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार भरतपुर को पालना हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर